

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
परिवाद संख्या 51/2016

लोक अदालत अभिधान
न्याय आपके दार
2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री दुष्यंत मिश्रा पुत्र श्री यतीश चन्द्र मिश्रा मैसर्स— जयश्री कृष्णा एजेन्सी, विवेक विहार कॉलोनी, बालूपुरा रोड, आदर्शनगर, अजमेर।
2. शिल्पी मिश्रा पत्नी श्री दुष्यंत मिश्रा मैसर्स— जयश्री कृष्णा एजेन्सी, विवेक विहार कॉलोनी, बालूपुरा रोड, आदर्शनगर, अजमेर।
3. मैसर्स— जयश्री कृष्णा एजेन्सी, विवेक विहार कॉलोनी, बालूपुरा रोड, आदर्शनगर, अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (1) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित :- अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं।

—: आदेश :-

दिनांक— 31.05.2017

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में लिए न्याय निर्णय अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने सबस्टेन्ड आईस्क्रीम विक्रय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (1) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अजमेर

द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.05.2015 को 12.30 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स जयश्री कृष्णा एजेन्सी, विवेक विहार कॉलोनी, बालूपुरा रोड, आदर्शनगर, अजमेर पर पहुँचे श्री दुष्यंत मिश्रा पुत्र श्री यतीश चन्द्र मिश्रा मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को आईस्क्रीम का विक्रय कर रहे थे। मौके पर डीफ्रिज में 20 पैकेट आईस्क्रीम 367-367 ग्राम के रखे हुये थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान आईस्क्रीम में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जाँच हेतु 4 पैकेट आईस्क्रीम वास्ते नमूना जाँच हेतु 220/- रूपये श्री दुष्यंत मिश्रा पुत्र श्री यतीश चन्द्र मिश्रा को नगद देकर गवाह श्री प्रेमचन्द शर्मा तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री दुष्यंत मिश्रा पुत्र श्री यतीश चन्द्र मिश्रा को सम्मलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा आईस्क्रीम को एक रूप कर चार खाली जार में बराबर बराबर डालने एवं प्रत्येक जार में फार्मलीन की 44-44 बून्द डालकर शिशियों को ढक्कन लगाकर बंद करने व लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए/1008 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जापते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना. फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी से सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/8157 दिनांक 10.07.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस./314 /एक्ट/2015/314 दिनांक 10.06.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच विक्रय की गई आईस्क्रीम सबस्टेण्ड होना पाई गई। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 12.05.2016 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 17.05.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री दुष्यंत मिश्रा पुत्र श्री यतीश चन्द्र मिश्रा को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 17.06.2016 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 24.05.2017 को अप्रार्थी श्री दुष्यंत मिश्रा पुत्र श्री यतीश चन्द्र मिश्रा स्वयं उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थी ने उन पर लगाये गये आरोपो को स्वीकार करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन आधारहीन एवं बेबुनियाद है। प्रार्थी द्वारा आइस्क्रीम का जो नमूना लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा आइस्क्रीम का विक्रय एवं विपणन किया जाता है। आइस्क्रीम की क्वालिटी उत्तम किस्म की है। पैकिंग पर इसमें मिलने वाले सभी घटक तत्वों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कथन किया



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला अधिकारी (प्रशासन) अजमेर

कि नये नियमों के अनुसार हमारे द्वारा विक्रय किये जा रहे प्रोडक्ट में खर्च या रंगो का नाम या संख्या का भी उल्लेख होना चाहिये। भविष्य में हमारी पैकिंग में इसका भी उल्लेख आवश्यक रूप से किया जायेगा। चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। इस आशय का शपथ-पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री दुष्यंत मिश्रा पुत्र श्री यतीश चन्द्र मिश्रा को जुमाने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री दुष्यंत मिश्रा पुत्र श्री यतीश चन्द्र मिश्रा पर राशि रु. 10000/- (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 31.05.2017 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.05.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(किशोर कुमार)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

दिनांक :

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2017/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
- 2- अभिहित अधिकारी एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि०, अजमेर।
- 3- श्री दुष्यंत मिश्रा पुत्र श्री यतीश चन्द्र मिश्रा मैसर्स- जयश्री कृष्णा एजेन्सी, विवेक विहार कॉलोनी, बालूपुरा रोड, आदर्शनगर, अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर